न्यायालय समाहर्त्ता, एवं जिला दण्डाधिकारी, दरभंगा
नीलाम पत्र वाद संख्या–43/02–03
सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया शाखा, लहेरियासराय बनाम राम चन्द्र दास

आदेश की क्रम संख्या और तारिख :	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारिख सहित
06/02/15	**आदेश** अभिलेख का अवलोकन किया। प्रस्तुत वाद आयुक्त, दरभंगा प्रमण्डल, दरभंगा के न्यायालय में वाद संख्या–16/06–07 में दिनांक–11.07.06 को पारित आदेश सहित वाद संख्या–43/02–03 सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया बनाम राम चन्द्र दास प्राप्त हुआ है। उक्त आदेश के आलोक में उभय पक्ष के द्वारा अपने अपने विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होकर अपना–अपना पक्ष रखा गया। अपीलकर्त्ता (अधियाची) के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि ऋणकर्त्ता राम चन्द्र दास एम्पुल फैक्ट्री के प्रोपराईटर थे जिनका बैंक से इनकैश क्रेडिट एकाउन्ट के तहत व्यवसाय हेतु लेन देन होता था। इनके यहाँ पूर्व का ऋण बकाया था जो देनदार द्वारा वापस नही किया जा रहा था। मो0–45664.73 रूपये जिसमें मूलधन के अलावे ब्याज सहित न्यायालय शुल्क भी शामिल था, की वसुली के लिए निलाम पत्र वाद संख्या–02/94–95 जिला निलाम पत्र पदाधिकारी, दरभंगा के न्यायालय में दायर किया गया। परंतु, जिला निलाम पत्र पदाधिकारी, दरभंगा के द्वारा उक्त निलाम पत्र वाद को दिनांक–27.04.1998 को खारिज कर दिया गया। उक्त पारित आदेश के विरूद्ध निलाम पत्र अपील वाद संख्या–43/02–03 अधियाची बैंक द्वारा समाहर्त्ता न्यायालय में देनदार रामचन्द्र दास के विरूद्ध दायर किया गया। उक्त वाद में अपीलकर्त्ता को अपना पक्ष रखने का मौका नही देकर समयावेदन को नजर अंदाज करते हुए अपील को अस्वीकृत कर दिया गया। अपीलकर्त्ता द्वारा इस न्यायालय से दिनांक–27.04.1998 को पारित आदेश के विरूद्ध आयुक्त, दरभंगा प्रमण्डल, दरभंगा के न्यायालय में अपील रिविजन वाद संख्या–16/06 दाखिल किया गया, जिसमें पारित आदेश दिनांक–21.07.09 से निदेश दिया गया है कि पक्षकारों को अपने–अपने दावे के समर्थन में पक्ष रखने का अवसर प्रदान करते हुए प्रावधानों के अनुकूल आदेश पारित किये जायें। उभयपक्षों को अपने–अपने दावे के समर्थन में पक्ष रखने हेतु अभिलेख इस न्यायालय में प्रतिप्रेषित (Remand) कर दिया गया। देनदार के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा अपने दावे के समर्थन में बताया गया कि अपीलकर्त्ता (अधियाची बैंक) द्वारा मो0–55,000.00 रूपये कैश क्रेडिट लिमिट दी गयी। उनका यह भी कहना है कि देनदार के एम्पुल फैक्ट्री में दिनांक–03.03.1998 को भीषण अग्नि कांड होने के कारण क्षतिपूर्त्ति के रूप में नेशनल इन्श्योरेंश कम्पनी ने स्थल निरीक्षण एवं जॉच से संतुष्ट होकर मो0–50,000.00 रूपये देनदार को क्षतिपूर्त्ति स्वरूप उनके कैश क्रेडिट एकाउन्ट में जमा कर दिया। देनदार राम चन्द्र दास	

द्वारा मो0–5,000.00 रूपया बैंक में जमा किया गया था। उन्होने यह भी उल्लेख किया है कि मनीसूट संख्या–08/91 में दिनांक–25.05.2005 को रिजिनल मैनेजर, सेन्ट्रल बैंक, दरभंगा द्वारा दिये गये साक्ष्य में उपरोक्त कथन को स्वीकार किया है। इस प्रकार देनदार को नेशनल इन्श्योरेंश कम्पनी से प्राप्त क्षतिपूर्त्ति राशि मो0–50,000.00 रूपये एवं बैंक का मार्जिन मनी मो0–5,000.00 जो देनदार द्वारा जमा किये जाने के कारण मो0–55,000.00 रूपये होता है, जबकि बैक का कैश क्रेडिट एकाउन्ट के ऋण के रूप में मो0–55,000.00 रूपये का लिमिट था। दोनो रकम बराबर हो जाने के कारण अधियाचित बैंक का एक भी रूपया देनदार रामचन्द्र एम्पुल फैक्ट्री के प्रोपराईटर के ऊपर बॉकी नही है। अपीलकर्त्ता द्वारा देनदार (प्रतिपक्षी) को तंग तबाह करने के लिए झुठा निलाम पत्र वाद दायर किया गया है, जिसे निलाम पत्र पदाधिकारी, दरभंगा द्वारा खारिज किया जा चुका है। उनके विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि रिजिनल मैनेजर सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया श्री आर0एस0 भल्ला के द्वारा पत्रांक– सी0आर0–90–91 एम0 544 दिनांक–30.11.90 में उत्तरवादी को आर्थिक सहायता करने का आदेश शाखा प्रबंधक को दिया गया। इसके अलावे रिजनल मैनेजर के द्वारा पत्रांक–सी0आर0 90–91 एन0 543 दिनांक–12.11.1990 से पूर्णतः उत्तरवादी को आर्थिक सहायता के लिए आदेशित किया गया। जिला उद्योग केन्द्र, दरभंगा के जेनरल मैनेजर के द्वारा पत्रांक–9902 दिनांक–24.06.90 से रिजिनल मैनेजर को देनदार को आर्थिक सहायता देने हेतु पत्र दिया गया। उनके विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि देनदार के जिम्मे बैंक का किसी प्रकार का बकाया नही रहने के कारण गिरबी रखे कागजात वापस करने हेतु बैंक को आदेश पारित करने का अनुरोध करते है।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुनने एवं अभिलेख पर संधारित कागजातों के अवलोकन से प्रथम दृष्टया स्पष्ट होता है कि अपीलकर्त्ता (अधियाची) विपक्षी देनदार के जिम्मे किसी भी प्रकार का ऋण के रूप में बकाया होना का दावा साबित करने में असफल रहे है। अपीलकर्त्ता (अधियाची) द्वारा अपने दावे के समर्थन में ऐसा कोई कागजात प्रस्तुत नही किया गया, जिससे साबित हो कि विपक्षी (देनदार) को बैंक का कोई बकाया हो, तथा जिसकी अदायगी के लिए अधियाची (अपीलकर्त्ता) द्वारा दाखिल आवेदन पर विचार करने का पर्याप्त कारण हो। साथ ही अधियाची एवं देनदार के बीच में मनीसूट संख्या–08/91 व्यवहार न्यायालय में विचाराधीन है। ऐसे में वर्त्तमान नीलाम पत्र वाद चलने योग्य नहीं है।

अतएव सम्यक विचारोपरांत अपीलकर्त्ता (अधियाची) द्वारा दाखिल आवेदन को खारिज किया जाता है।

समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी,
दरभंगा।